न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:—77/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. शीशराम,
2. नरसिंहराम पुत्रान केसू जाति अहीर निवासी मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 ।

..................अपीलांटान

बनाम

1. दौला पुत्र अनूपसिंह,
2. माला पुत्र अनूपसिंह,
3. दीपसिंह उर्फ दीपचन्द पुत्र फंतू,
4. उदमी पुत्र गंगासहाय जाति अहीर निवासीयान मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 ।

.... असल रेस्पो0/प्रतिवादीगण

5. जगदीश,
6. फूलसिंह,
7. सुबेसिंह पुत्रान साधू,
8. ओमप्रकाश,
9. बिरेन्द्र,
10. जसवंत,
11. भूपसिंह,
12. सहीराम पुत्रान रामसिंह पौत्रान साधु,
13. प्रभू पुत्र गोपाल जाति अहीर निवासी ग्राम मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0— मृतक
    13/1. रामकुंवार,
    13/2. किशन पुत्रान प्रभू,
    13/3. प्यारी,
    13/4. कृष्णा पुत्रियान प्रभू,
    13/5. देवकला पत्नि स्व0 रामस्वरूप पुत्रवधू प्रभू,
    13/6. हनुमान,
    13/7. जशवंत पुत्रान स्व0 रामस्वरूप पौत्रान प्रभू,
    13/8. कमलेश पुत्री स्व0 रामस्वरूप पौत्री प्रभू,

13/9. सुमरो पत्नि स्व0 रामजस पुत्रवधू प्रभू,
13/10. संगीता पुत्री स्व0 रामजस पौत्री प्रभू,
13/11. देशराज पुत्र स्व0 रामजस पौत्र प्रभू,
13/12. मनोज पत्नि स्व0 शीशराम पुत्रवधू प्रभू,
13/13. पूनम,
13/14. बाला उर्फ सीमा,
13/15. रामभौत,
13/16. करिश्मा,
13/17. अन्तिम,
13/18. खुशी उर्फ बीनू,
13/19. कशिश,
13/20. कोमल पुत्रियान स्व0 शीशराम पौत्रीयान प्रभू,
13/21. दुष्यन्त पुत्र स्व0 शीशराम पौत्र प्रभू,
14. जयपाल,
15. यशपाल पुत्रान भीमसिंह पौत्रान हरलाल,
16. झम्मन पुत्र भवानीसहाय जाति अहीर निवासी ग्राम मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0 ।

.... तरतीबी रेस्पो0/प्रति0

उपस्थित :-
1. श्री अनिल गुप्ता अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जनार्दन शर्मा अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :-28.11.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी तिजारा के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.08.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 484 व अन्य आराजीयात के प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादी काश्तकार थे जिन्होंने अपनी आराजीयात का आपस में बंटवारा कर लिया और आराजी व रंग लाल मुन्दर्जे नक्शा पेशकर्दा वादीगण हरलाल तर0 प्रतिवादी को हिस्से में आयी जिसने आराजी मुतनाजा का अपना हिस्सा हम वादीगण को जबानी मुहायदे के जर्ये दे दिया था और इस प्रकार से कुल हक हकूक हम वादीगण को मुन्तकिल इस हिस्से के बारे में अर्सा करीब 10, 12 साल पहले हरलाल खातेदार काश्तकार के काबिज व दाखिल है । इस हिस्से पर हम वादीगण ने पक्का डन्डा लगाया हुआ है । तरफ पश्चिम को डन्डा करीब 6 फीट उँचा बना हुआ है, दक्षिण की तरफ तीन फीट गहराई में नींव चिनाई करके पत्थरों से दीवार चिन रखी है । तरफ पूर्व को छप्पर तक नींव तीन फुट गहराई में चिन कर उपर पत्थर चित रखे हैं । इन पत्थरों की उँचाई भी 3 फीट उँची है और इस छप्पर के आगे मिटटी की डोली बनी हुई है व नींव खुदी हुई है । उसके पास

इंजन डाला हुआ है । तरफ उत्तर को उक्त गुवाडे का रास्ता है व मिटटी की डोल बंधी हुई है । इस गुवाड़े को काश्तकारी के कार्य के काम में लिया जा रहा है । ट्रेक्टर खड़ा करने, खाद आदि डालने के और मवेशी आदि बांधने के काम में लिया जाता है । ईंधन व पत्थर आदि भी पड़े हुए है । इस प्रकार से हिस्से के हम खातेदार काश्तकार हैं जिससे प्रतिवादीगण असल का कोई ताल्लुक व सरोकार नहीं है । प्रतिवादीगण असल मुठमर्द हैं और राज के कानून की परवाह नहीं करते व जौम मुठमर्दी के हमारे कब्जे की उक्त आराजी में हमारे कब्जे में होना चाहते हैं । बेजा रास्ता लेना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें कोई अधिकार हासिल नहीं है । इसलिए वादीगण दावा लेकर आये हैं । प्रतिवादीगण खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम जबरन कब्जा करके रहेगें और जबरन बेदखल करेगें और जबरन रास्ता लेगें । इसलिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें । तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 23.08.2012 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 23.08.2012 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट अभिभाषक ने लिखित बहस पेश करते हुए निवेदन किया कि असल प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश कर कहा कि हरलाल का 1/3 हिस्सा था उसके बदले में आराजी उसको दे दी गई थी और यह कुल आराजी हमारे कब्जे में आ गई और दौला ने उसमें रिहायश कर रखी है । मौका पर मकानात बने हुए हैं । प्रतिवादी दोला के पत्थर व कूड़ी पड़ी हुई है व पशु बांध रखे हैं । वादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है । वादीगण ने जानबूझकर हरलाल को फरीक बनाया है । महज अपने आदमियों की ताकत पर वादीगण जबरदस्ती मेरी जमीन में अतिक्रमण करना चाहते हैं । मेरा रास्ता भी मकान का जाने उत्तर को आम रास्ता में खुलता है । इसलिए वादीगण द्वारा यह कहना कि प्रतिवादी रास्ता जबरन लेना चाहते हैं, गलत है । यह जमीन गै0मु0 आबादी है और वादीगण का मकान दौला के जानिम पश्चिम की है । बीच में डन्डा भी दौला ने बना रखा है मगर फिर भी जबरन कब्जा करना चाहते हैं तथा मना करने पर मारपीट करते हैं । वादीगण का किसी प्रकार का संबंध सरोकार नहीं है । विवादित आराजी गै0मु0 आबादी है जिसके मुताबिक अदालत हाजा को दावा में सुनवाई करने का अधिकार नहीं है । यह दावा केवल अदालत दीवानी सुन सकती है । वादीगण का जमीन से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं है ना कभी रहा है । गैर काबिज व आराजी वादीगण दावा हुक्मईम्तनाई दवामी नहीं ला सकते हैं । इसलिए दावा काबिल खारिज है ।

तहत अदालत के द्वारा वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा पर 7 तनकीयात कायम की गई । तहत अदालत के द्वारा वादी का दावे का निर्णय करते हुए अंकित किया है कि प्रकरण में अंतिम रूप से निस्तारण करने से पूर्व यहां उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण का निस्तारण इस आधार पर हो सकता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत दावा पेश करने के दावेदार को खातेदार होना आवश्यक है या तो

वह रेकार्डेड खातेदार हो या खातेदार होने की घोषणा चाही हो । प्रस्तुत वाद में वादी ना तो रेकार्डेड खातेदार है और ना ही उसके खातेदारी होने की घोषणा चाही है । ऐसी स्थिति में दावा चलने योग्य नहीं है । वादी का अपना दावा उक्त तथ्य पर असफल रहा है । वादी का वाद खारिज किया जाता है । उक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए तहत अदालत ने वादी का जो दावा खारिज किया है वह गलत है क्योंकि तहत अदालत द्वारा 7 तनकीयात कायम की गई थी जिस तनकीयात में ऐसी कोई विधिक तनकी आदेश 14 नियम 2 के तहत कायम नहीं की गई थी जिसके आधार पर तहत अदालत के द्वारा उक्त 7 तनकीयों के विवेचन से पूर्व भी विधिक बिन्दु पर दावा खारिज किया गया ।

तहत अदालत के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में आराजी मुतदाविया गै0मु0 आबादी है जिस पर गैर मुतवादिया आराजी को गै0मु0 आराजी होना प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में भी स्वीकार किया है जो आराजी वादीगण के द्वारा जबानी तौर पर हरलाल तरतीबी प्रतिवादी से खरीद की गई जिस आराजी पर वादीगण काबिज काश्त खातेदार है और काफी सालों से है तथा पक्का डन्डा लगाया हुआ है । तहत अदालत के द्वारा मंगाई हुई मौका कमिश्नर रिपोर्ट में कमिश्नर के द्वारा वादीगण का कब्जा पाया है । ऐसी स्थिति में वादीगण को मालिकाना हक बय खरीद से प्राप्त हो गये हैं । चूंकि विवादित आराजी पर बवक्त खरीद से मालिकाना हक प्राप्त हो चुके थे । वादीगण को मालिकाना हक प्राप्त होने पर आराजी का राजस्व रेकार्ड में किस्म परिवर्तन नहीं होने के कारण राजस्व अदालत में मुकदमा हुक्म ईम्तनाई दवामी का करना आवश्यक था । तहत अदालत के द्वारा प्रकरण का निस्तारण इस आधार पर किया गया कि हुक्म ईम्तनाई दवामी का दावा सिर्फ खातेदार ही ला सकता है, जो गलत है ।

तहत अदालत के समक्ष तरतीबी प्रतिवादी हरलाल ने भी अपने जवाब दावे में वादीगण का कब्जा एवं मालिकाना हक होना स्वीकार किया है । इस प्रकार वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा एवं मालिकाना हक बखूबी साबित था किन्तु तहत न्यायालय ने बिना विधिक तनकी कायम किये ही मनमर्जी से दावा खारिज कर दिया । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है और अपीलांट की अपीलांट स्वीकार की जावें ।

रेस्पो0 अभिभाषक ने बहस जवाब में कथन किया कि वादीगण ने तहत न्यायालय में 188 आर.टी.एक्ट के तहत दावा पेश किया जबकि यह 88, 89 आर.टी.एक्ट का दावा नहीं है । धारा 188 आर0.टी.एक्ट का केवल टिनेन्ट ही ला सकता है । वादी/अपीलांट विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार नहीं है । इसलिए उनको दावा लाने का कोई अधिकार नहीं था । साथ ही उन्होंने आगे कहा कि जब वादीगण को दावा लाने का अधिकार ही नहीं था तो दावे में इश्यू के बिन्दु नगण्य है तथा जो इश्यू के बिन्दु है वो भी तहत न्यायालय में ही तय होते । यहां पर अपीलांट कैसे अपील कर सकते हैं । अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस में मौखिक बहस रेकार्ड व कानून से हटकर की है । दावा 188 आर.टी.एक्ट का केसू व झम्मन ने किया जिसका अवलोकन कराया । हरलाल के फुट स्टेप पर आये हैं । हरलाल ने कोई दावा नहीं किया जो को–शेयर या को–टिनेन्ट है जबानी बेचान बता रहे हैं । बयानों में ये दस हजार से खरीद बताते हैं जिसकी कोई लिखावट नहीं है तथा बयनामा व एग्रीमेन्ट कुछ भी नहीं है । तहत न्यायालय के निर्णय अनुसार हरलाल का कब्जा मानते हैं । हिस्से

के खातेदार काश्तकार मानते हैं पर कोई रेकार्ड नहीं है । उन्होंने आगे कथन किया कि अपीलांट राजस्व न्यायालय में सिविल नेचर की रिलीफ चाह रहे हैं । नक्शा बनाकर रिलीफ चाह रहे हैं । तनकी नं0 1 के अनुसार वादी विवादित आराजी का खातेदार नहीं है । तहत न्यायालय में दावा एक्सपार्टी नहीं था । विधिक इश्यू का मामला तहत न्यायालय ही तय करता है । हरलाल ने खुद 188 आर0.टी.एक्ट का दावा इनके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहां कर दिया । उसमें ये वहां उपस्थित थे । इसलिए तहत न्यायालय ने इनका दावा सही खारिज किया है । यहां ये रंजिशवश आये हैं । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें । उन्होंने अपने समर्थन में आर.टी.एक्ट सैक्शन 187 बी–188 पेज 344, आर.आर.टी. 2009 पेज 204,आर.आर.टी. 2012 पेज 1316 पेश की ।

अभिभाषक अपीलांट ने जवाब उल जवाब में कथन किया कि तहत न्यायालय को ये देखना है कि क्या दावा चल सकता है या नहीं । इस कानूनी बिन्दू को रेस्पो0 ने अदालत में क्यों नहीं बताया । मेरा यह कहना है कि मुख्य विवाधक क्यों नहीं बनाये । शेष विवाधक का क्या मतलब है ? रेस्पो0 को क्या अधिकार है कि अपीलांट को क्यों बेदखल कर रहे हैं क्या इन्होंने हरलाल से जमीन खरीदी है । इनका क्या लोकस स्टेण्डाई है । इनके पास इनकी जमीन है । आराजी का बंटवारा कर लिया है तथा मौके पर खेती नहीं बल्कि आबादी है । प्रतिवादी ने स्वयं लिखा है कि यह जमीन गै0मु0 आबादी है । दोनों रिलीफ रेस्पो0 नहीं ले सकते हैं । जमाबन्दी में नाम है तो मैं राजस्व न्यायालय में ही दावा करूंगा । उन्होंने आगे कहा कि मैंने हरलाल से आराजी खरीदी है । हरलाल ने तहत न्यायालय में खुद उपस्थित होकर जवाब पेश किया है । तहत न्यायालय में मौका कमिश्नर ने मेरा कब्जा माना है । रेस्पो0 को मुझे बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है । हरलाल मुझसे सहमत है तो रेस्पो0 का क्या लेना देना है । रेस्पो0 को हरलाल के जवाब का जवाब पेश करते । इसलिए मेरी अपील स्वीकार करें या रिमाण्ड करें पर कानूनी बिन्दु तय करें ।

पत्रावली के अवलोकन तथा उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस व रेकार्ड व मौके के आधार पर इस प्रकरण के निस्तारण के निम्न बिन्दु तय किये जा सकते हैं –

1. क्या अपीलांट बिना टाईटल के धारा 188 आर.टी.एक्ट में रीलिफ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, क्या वाद वादी खारिज किया जाना चाहिए ?

2. क्या विवादित आराजी ख0 नं0 454 के तरतीबी प्रतिवादी सं0 7 हरलाल के कथनानुसार उनके हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी पर वादीगण कब्जे काश्त व उपभोग में है ।

3. उभयपक्षों की बहस अनुसार विवादित आराजी पर अपना–अपना कब्जा होना जाहिर कर रहे हैं । रेकार्ड, मौका रिपोर्ट, साक्ष्य से विवादित आराजी पर कब्जा किसका है । यह तय करके निर्णय किया जावें कि यदि वादी का कब्जा है तो उसका क्या लोकस स्टेण्डाई है और यदि प्रतिवादी का कब्जा है तो वादी द्वारा 188 आर.टी.एक्ट में लाया गया वाद का क्या लोकस स्टेण्डाई है ।

4. क्या वादी का विवादित आराजी के हिस्से पर खिलाफ कानून व मौका कब्जा है तो उसे किस प्रकार से बेदखल किया जा सकता है और यदि प्रतिवादी का कब्जा काश्त है तो वादी का वाद सही खारिज किया है ।

 28/11/17

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दि0 23.8.2012 द्वारा वादी का वाद धारा 188 आर.टी.एक्ट में इस आधार पर खारिज किया है कि वादीगण न तो विवादित आराजी के खातेदार है और न ही किसी आधार पर खातेदारी की घोषणा चाही है । यधपि उक्त आधार पर यह वाद सही खारिज किया है तथा प्रथम बिन्दु के आधार पर वादीगण को किसी प्रकार का 188 आर.टी.एक्ट के तहत अधिकार नहीं है, परन्तु अपील में एवं अधीनस्थ न्यायालय में इस बिन्दू को लेकर आये हैं कि उक्त आराजी पर वादीगण तरतीबी प्रतिवादी हरलाल के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी पर उनकी सहमति से काबिज है । अतः प्रकरण में इस कानूनी तथ्य को भी तय किया जाना आवश्यक है कि यदि वादीगण, हरलाल तरतीबी प्रतिवादी जो सह खातेदार है तथा जिसने जवाब दावे में इस तथ्य को स्वीकार किया है, के आधार पर यदि कब्जे में है तो वादीगण के क्या अधिकार हैं ? अतः इन शेष उपरोक्त बिन्दुओं को भी वाद में तय किया जाना आवश्यक है ।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार जाती है तथा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के निर्णय व डिक्री दि0 23.08.2012 को आंशिक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण विद्धान तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को उपरोक्त शेष बिन्दुओं पर बहस सुनकर विस्तृत निर्णय गुणावगुण पर इस न्यायालय के निर्णय से तीन माह के अन्दर आवश्यक रूप से पारित करें । उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे पुनः सुनवाई बाबत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा में दि0 28.12.2017 को उपस्थित हो । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/11/17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर